उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं0-15/2018-19

प्रदीप कुमार वगै0

बनाम्

प्रवीण कुमार वगै0

-: आदेश :-

दिनांक	
09/08/2	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रदीप कुमार वो दिलीप कुमार राणा, पेसरान-भुनेश्वर राम, सा0-बोरमा, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0-7/2016-17 के आदेश दिनांक-22.05.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0-7/16-17 आदेश दिनांक-22.05.2018 के द्वारा उभय पक्षों के बीच 1/3 हिस्से लगान निर्धारण करने के लिए आदेश दिया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0-7/2016-17 में दिनांक-22.05.2018 को पारित आदेश बिना किसी आधार के अवैध तथ्यों और कानून के गलत व्याख्या पर आधारित है। निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 19 के अनुसार आदेश पारित नहीं किया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 19 के अनुसार लगान विभाजन के लिए दोनों पक्षों का सहमति जरूरी है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा निम्न न्यायालय में लगान विभाजन के विरूद्ध आपत्ति आवेदन भी दाखिल किया था। क्योंकि लगान विभाजन के लिए किसी भी माध्यम से हिस्सेदारों के बीच भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है और न ही भूमि का किसी सक्षम न्यायालय से बँटवारा हुआ है। इसलिए निम्न न्यायालय को हिस्सेदार के आपसी सहमति एवं बँटवारा के बिना लगान विभाजन आदेश देना नहीं चाहिए था। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील की काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बोरमा जमाबंदी सं0–74 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोती राम के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मोती राम को तीन पुत्र स्व0 कामेश्वर राम, स्व0 भुनेश्वर राम एवं विन्देश्वर प्र0 राम हुए। तीनों ने अपने जीवन काल में उक्त जमाबंदी की जमीन का बँटवारा कर लिया था, जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी तीनों का नाम दर्ज किया गया है। गत जमाबंदी रैयत मोती राम का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

मोती राम(ज0रै0)

स्व0 कामेश्वर राम	स्व0 भुनेश्वर राम	स्व0 विदेश्वरी राम
दिलीप कु0 राम (अपीलकर्त्ता)	प्रदीप कुमार (अपीलकर्त्ता)	प्रवीण कुमार (उत्तरवादी)

उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी की जमीन खतियान में संयुक्त है, लेकिन उत्तरवादी एवं अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के प्रत्येक दाग नं0 की जमीन में अपने–अपने 1/3 हिस्से के अनुसार दखलकार होकर खेती का कार्य करते हैं। हिस्से के अनुसार भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण विवाद का कारण बनता है तथा उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान का बँटवारा नहीं होने के कारण लगान का भुगतान करने में भी परेशानी होता था। जबकि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी की जमीन का 2/3 हिस्सेदार है। अपीलकर्त्ता ने परेशान करने के लिए आपत्ति किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–197/रा0 दिनांक–05.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बोरमा नं0–3 एवं 6 के खतियान में जमाबंदी नं0–74 कुल रकवा 15–04–19 धुर जमीन जमाबंदी रैयत मोती राम वल्द हेमु राम के नाम से दर्ज है। जमाबंदी संयुक्त है तथा इसमें खेसरा की कुल संख्या–09 (नौ) है, जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

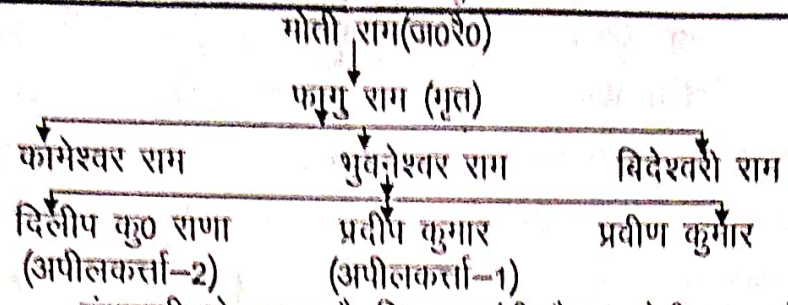

वंशावली से स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत–मोती राम के तीन पुत्रों कामेश्वर राम वो भुवनेश्वर राम वो बिन्देश्वरी राम में से अपीलकर्त्ता प्रदीप कुमार वो दिलीप कुमार राणा एवं विपक्षी प्रवीण कुमार पेशरान भुवनेश्वर राम है। उक्त जमाबंदी में वंशवृक्ष के आधार पर कुल तीन फरिकान है। कामेश्वर राम पिता–स्व0 फागु राम, भुवनेश्वर राम एवं बिन्देश्वरी राम, पिता–स्व0 फागु राम लगान विभाजन कर लगान धार्य करने के लिए जमाबंदी के सभी फरिकानों को नोटिश निर्गत करते हुए उनसे अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। मौजा–बोरमा जमाबंदी नं0–74 संयुक्त है। वंशावली के आधार पर जमाबंदी रैयत के तीन पुत्र है। पक्ष एवं विपक्ष एक ही पुत्र भुवनेश्वर राम के पुत्र हैं। दो पुत्र कामेश्वर राम एवं बिन्देश्वरी राम के वारिशान इस आवेदन में सनिहित नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बोरमा नं0–3, 6 जमाबंदी नं0–74 कुल रकवा 15–04–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत मोती राम वल्द हेमु राम के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–39/33, 162/118, 236/166, 592/540, 561/329, 1243/832 रकवा क्रमशः 0.40 एकड़, 0.77 एकड़, 0.5 एकड़, 0.8 एकड़, 0.5 एकड़, 0.62 एकड़ जमीन का लगान विभाजन के लिए आवेदन किया था। निम्न न्यायालय के द्वारा 1/3 हिस्से का लगान निर्धारण करने के लिए कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया है। जबकि निम्न न्यायालय में भी अपीलकर्त्ता के द्वारा लगान विभाजन के विरूद्ध आपत्ति किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 19(2) के अनुसार लगान विभाजन के लिए दोनों पक्ष का सहमति एवं अंचल अधिकारी का अनुसंशा आवश्यक है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा बिना अंचल अधिकारी, मेहरमा के अनुशंसा पर ही लगान निर्धारण के लिए आदेश दिया गया है। जबकि आवेदन लगान विभाजन के लिए था। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रे०मि० वाद सं०–7/16–17 आदेश दिनांक–22.05.2018 के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। चूँकि दोनों पक्ष सहोदर भाई हैं। अतएव दोनों पक्ष विधिवत ढंग से जमीन का आपसी बँटवारा कर लें और तदनुसार सक्षम न्यायालय में लगान विभाजन के लिए आवेदन दें। इस निदेश के साथ अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

09/03/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

09/03/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

12/3/22

12/3/22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 17:03:15 +05:30
Location: 172.17.208.1